कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.01.2023 को म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सभा कक्ष में मंडी बोर्ड द्वारा गठित दल द्वारा राज्यों के एक्ट का अध्ययन करने के उपरांत समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्यालय के समस्त अपर संचालक, मुख्य अभियंता, उपसंचालक, कार्यपालन यंत्री, सचिव तथा संभागीय कार्यालय के संयुक्त संचालक, कार्यपालन यंत्री, उप संचालक, संबंधित मंडी के सचिव उपस्थित हुऐ।

बैठक में गठित दल द्वारा अन्य राज्यों में एक्ट के अध्ययन करने के उपरांत राज्यवार कार्यवाही की गयी जो निम्नानुसार है:-

उत्तर प्रदेश राज्य-

श्री लारिया, संयुक्त संचालक रीवा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश की मंडियों में कमीशन एजेंट द्वारा किसानों की कृषि उपज का क्रय कर व्यापारियों को विक्रय किया जाता है। साथ ही प्रबंध संचालक महोदया द्वारा उन सभी अधिकारियों से पूछा गया कि क्या उन्होंने उन प्रदेशों के मंडी एक्ट का अध्ययन किया है। अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वहां आढत प्रथा प्रचलित है। आढतियों द्वारा ही कृषि उपज का क्रय किया जाता है तथा व्यापारियों को विक्रय किया जाता है। यदि किसी आढतिया द्वारा कृषि उपज का क्रय नही किया जाता है तो उसका लाससेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। कृषि उपज का तौल ब्रेविज कांटे से किया जाता है। कृषि उपज की तौल निशुल्क होती है। जबकि म.प्र. में कृषि उपज की तौल पर शुल्क लिया जाता है। पोर्टल पर कृषि उपज के क्रय विक्रय का विवरण दर्ज नहीं किया जाता है। **वहां डेढ रूपये मंडी शुल्क तथा 50 पैसा निराश्रित शुल्क के रूप में प्राप्त होता है। आलू, प्याज, हरी मटर एवं टमाटर अधिसूचित कृषि पर शुल्क 1.5 प्रतिशत की दर से लिया जाता है जबकि म.प्र. में 1 प्रतिशत की दर से शुल्क प्राप्त होता है।**

उत्तर प्रदेश में मंडी कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था की गई है। व्यापारियों के लिये शॉप कम गोदाम बनाये गये है किराये की दर निर्माण लागत का 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित है जिससे मंडी को यूजर चार्ज के रूप में शुल्क की प्राप्ति होती है। किसानों की कृषि उपज के क्रय की जिम्मेदारी आढतियों की होती है तथा वही किसान को भुगतान करते है। मंडी में अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते है तथा पोर्टल पर दर्ज किये जाते है। गेट पर उपज की इन्ट्री की जाती है। यूनिफाईड लायसेंस प्रत्येक व्यापारियों को उपलब्ध कराये जाते है। उत्तर प्रदेश में भी म.प्र. के समान पोर्टल पर विवरण दर्ज किया जाता है। **किसी भी बाह्य राज्य से आयातित कृषि उपज के परिवहन के समय वाहन मे विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी प्री-अराइवल स्लिप का होना अनिवार्य है अन्यथा जांच दल द्वारा पकड़े जाने पर आयातित कृषि उपज पर 10 गुना (या 2 लाख रु० जो भी कम हो) दांडिक शुल्क अधिरोपित की जा सकती है।**

उक्त प्री-अराइवल स्लिप ई-मंडी उ.प्र. के पोर्टल से बिना किसी आईडी पासवर्ड के सीधे बनाई जा सकती है।

हरियाणा राज्य

श्री चक्रवर्ती, संयुक्त संचालक ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 70 प्रतिशत किसान है। राज्य में 114 मंडिया तथा 4 जोनल कार्यालय है। मंडी में कम्प्यूटर प्रणाली से कार्य होता है। कृषि उपज का विवरण पोर्टल पर दर्ज होता है एवं मंडी समिति में यूनिफाइट आई.डी. प्राप्त करने के लिये पंजीयन कराना अनिवार्य है। मंडी में ही क्रय विक्रय किया जाता है। **गेट पर प्रवेश के समय ही यूनिक आई.डी. से ही सारा ब्यौरा मिल जाता है।** पीक सीजन में ही मंडी चलती है बाकी समय में मंडी बहुत कम उपज का क्रय विक्रय होता है। किसानों को आढतियों से उपज का भुगतान प्राप्त होता है। **मंडी शुल्क साधारणतः 2% तथा 2% हरियाणा राज्य सड़क विकास निधि (एच.आर.डी.एफ.) लिया जाता है। फल तथा सब्जी पर 1% मंडी शुल्क है तथा एच.आर.डी.एफ. भी 1% है। धान के सम्बन्ध में 2500/- रूपये प्रति क्विंटल से अधिक किसी भी दर पर बिक्री होने पर भी 50/- रूपये ही मंडी शुल्क निर्धारित है जबकि एच.आर.डी.एफ. 2% ही रहेगा।** आढतिया 2 प्रतिशत के कमीशन पर कार्य करते है। पंजीकृत किसान सरकारी खरीदी में अपनी उपज का विक्रय करते है। सरकारी खरीदी का भुगतान आर.टी.जी.एस. माध्यम के साथ ही नकद में भी किया जाता है। टर्न ओव्हर के आधार पर व्यापारी का विवरण उपलब्ध रहता है। व्यापारी से प्रतिभूति नहीं ली जाती है। किसानों का भुगतान आढतिया करते है।

हम्माल एवं तुलावटियों की दरें एक जैसी निर्धारित है। इस संबंध में प्रबंध संचालक महोदया द्वारा पूछा गया कि हम म.प्र. में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। प्रदेश की मंडी में मंडी शुल्क अपवंचन पकडे जाने पर 25 से 50 प्रतिशत तक जुर्माना वसूल किया जाता है। मंडी प्रांगण में नीलामी कमीशन एजेंट के माध्यम से होती है जबकि म.प्र. में मंडी कर्मचारियों द्वारा की जाती है। मंडी में ज्यादतर गेहूँ एवं धान की उपज आती है। मंडी में धान के भाव ज्यादा अच्छे है। मंडी में अधिसूचित कृषि के दलहन, तिलहन, लकडी, मछली, अण्डे का विक्रय होता है। मंडी समिति का स्टाफ 10 से 15 कर्मचारियों का है। **कृषि उपज पर मल्टीपल टेक्स लिया जाता है। प्रसंस्करणकर्ता व्यापारी को मंडी शुल्क में छूट दी जाती है। मंडी में भोजन व्यवस्था है जिसमें रू. 25/- प्रति थाली के हिसाब से भोजन दिया जाता है जिसमें से किसानों को रू. 10/- देना होता है शेष रू. 15/- का भुगतान मंडी समिति को वहन करना होता है।** ई-नेम की स्थिति म.प्र. जैसी ही है।

पंजाब राज्य-

श्री कुमरे, संयुक्त संचालक सागर द्वारा अवगत कराया गया कि पंजाब राज्य का मंडी एक्ट 26 मई 1961 को बना है। मंडी का चेयरमेन होता है वहां निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते है। मंडी में सचिव ही प्रधान अधिकारी होता है। अनुज्ञप्तिधारी लायसेंसी दो प्रकार के होते है कमीशन एजेंट (कच्चा आढतिया) दूसरा व्यापारी/ट्रेडर/प्रोसेसर(पक्का आढतिया) दोनों प्रकार के लाइसेंस में व्यक्ति अनुज्ञप्ति के मानक को पूर्ण कर मंडी बोर्ड की साईट पर 1000 रु प्रति वर्ष की फीस (एक बार में अधिकतम पांच वर्ष) ऑनलाइन आवेदन में जमा कर प्राप्त कर सकता है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान उसी दिवस आई/जे फॉर्म के

माध्यम से बैंक खाते में ऑनलाइन कर दिया जाता है। **व्यापारियों से प्रतिभूति नहीं ली जाती है। सिक्यूरिटी के रूप में सम्बंधित एजेंट या व्यापारी से उसके मंडी से क्रय किये गए बूथ/शॉप कम गोडाउन/फ्लैट के दस्तावेज़ लिए जाते है डिफॉल्ट होने की दशा में जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाती है।** अवैध निकासी पर दो गुना मंडी शुल्क, 10 प्रतिशत एम.डी.एफ. तथा 18% आर.डी.एफ. पर ब्याज़ जुर्माने के रूप में लगाकर वसूल किया जाता है। मंडी अधिनियम में एफ.आई.आर. का प्रावधान है। किसानों एवं व्यापारियों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में है। किसानों की उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही किया जाता है। **गेहूं, धान, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा पर 3% मंडी शुल्क तथा 3% आर.डी.एफ. लिया जाता है जबकि वास्मती धान, फल एवं सब्जी पर 1% मंडी शुल्क तथा 1% आर.डी.एफ. लिया जाता है। 2.5 प्रतिशत कमीशन ऐजेंट को प्राप्त होता है।** वर्ष 2022 में मंडी को 2100 करोड का मंडी टैक्स प्राप्त हुआ है। मंडी में कृषि विश्रामगृह नहीं है, मंडी में सी.सी. रोड है बाकी में खुले में कृषि उपज का क्रय-विक्रय होता है। मंडी में 200 अनुज्ञप्तिधारी ऐजेंट है। किसान अपनी उपज मंडी में लाएगा तो ऐजेंट से संपर्क कर उपज का क्रय विक्रय मंडी प्रांगण में ही किया जाता है। लैण्ड मैपिंग की व्यवस्था है। किसी भी मंडी में आधार कार्ड से पंजीयन होता है उसके आधार पर ही कृषक का पूरा ब्यौरा आ जाता है। मंडी में बिना क्लीनिंग के नीलामी नहीं की जाती है। क्लीनिंग की मशीन से व्यापारी उपज की क्लीनिंग करता है उसका रिकार्ड एजेण्ड के पास रहता है। आई. फार्म में पूरा डाटा एंट्री किया जाता है। जे.फार्म पर सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है।

अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी क्यू. फार्म पर अपनी अनुज्ञा की जानकारी देता है। कृषि उपज की निकासी के 7 दिवस में एम.डी.एफ. का भुगतान किया जाता है। ई-नेम की स्थिति निरंक पाई गई। गेट इन्ट्री नहीं होती है। अन्तर्राष्ट्रीय नाके स्थापित है। **आधार कार्ड के माध्यम से अनाज खरीदी पोर्टल अथवा मंडी बोर्ड के आईएमएस पोर्टल पर पंजीकृत कृषको को एक्सीडेंटल क्लेम की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत कोई भी कृषक गतिविधि करते समय हादसा होने पर मेडिकल/पीएम/एँफआईआर रिपोर्ट के आधार पर विकलांगता होने पर पचास हज़ार रु तक एवं मृत्यु की स्तिथि में दो लाख रु प्रदान करने की सुविधा दी जाती है। यह योजना निशुल्क रहती है। 31 मार्च 2022 की स्तिथि तक 1289 प्रकरण में 5.72 करोड़ की सहायता राशि दी जा चुकी है।**

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत बीमा योजना भी पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है जिसके अंतर्गत पंजीकृत कृषक के परिवार को पांच लाख रु प्रति वर्ष की सुविधा दी जाती है। जिसकी प्रीमियम राशि एक हज़ार रु प्रति वर्ष प्रति कृषक परिवार का भुगतान पंजाब मंडी बोर्ड करती है।

तमिलनाडू राज्य-

श्री शर्मा, उप संचालक जबलपुर द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड (TNSAMB) का गठन 1970 में किया गया था। तमिलनाडु कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम 1987" के अनुसार सांविधिक बोर्ड के रूप में पुनर्गठित किया गया। तमिलनाडु में 27 बाजार समितियों की स्थापना की गई है जिसके तहत 284 विनियमित

बाजार कार्य कर रहे हैं। 1% मंडी शुल्क सभी बाजार समितियों के राजस्व का स्रोत है। किसानों द्वारा लाए गए कृषि उत्पादों की गुप्त बोली पद्धति अपनाकर बिक्री की जाती है। प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। व्यापारियों से उत्पाद के बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत बाजार शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है।

प्लेज लोन की सुविधा प्रदान की गई है जिसमे 5% ब्याज दर पर किसान अधिकतम 3 लाख रुपये तथा 9% ब्याज दर पर व्यापारी अधिकतम 2.00 लाख रुपये छः माह के लिए लोन ले सकता है। तमिलनाडु राज्य अक्टूबर 2017 से तीसरे चरण में eNAM प्लेटफॉर्म से जुड़ गया है। ई-नेम की स्थिति म.प्र. जैसी ही है।

प्रबंध संचालक महोदया द्वारा तमिलनाडु सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का विवरण लिखित में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

राजस्थान राज्य-

श्री वर्मा उप संचालक उज्जैन द्वारा अवगत कराया गया कि किसानों की उपज का क्रय विक्रय व्यापारियों द्वारा किया जाता है। मंडी में आढतिया ही नीलामी करते है। किसानों की कृषि उपज का भुगतान मंडी प्रांगण में आढतियों द्वारा नगद के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मंडी में गेट पर कृषि उपज की इन्ट्री कम्प्यूटर से होती है। राजस्थान में अभी भी केन्द्रीय कृषि कानून लागू है। कृषि उपज का क्रय विक्रय मंडी के बाहर भी किया जाता है वहां नियमन व्यवस्था लागू नहीं है। मंडी में जो कृषि उपज आती है उनसे शुल्क प्राप्त होता है। फल सब्जी में मंडी फीस नहीं ली जाती है। किसान कल्याण फण्ड के रूप में एक प्रतिशत शुल्क प्राप्त होती है जिसमें 50 पैसा टैक्स के रूप में तथा 50 पैसा अन्य टैक्स के रूप में लिया जाता है। ई-नेम म.प्र. की तरह ही लागू है। राजस्थान राज्य ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुवे संरचना आवंटन नियम मे कृषकों के लिए आरक्षित दुकानों/भूखंडो मे से 20% दुकानों/भूखंड का आरक्षण केवल महिला कृषकों हेतु किया गया है। उक्त आरक्षित दुकानों/भूखंडो मे से 30% दुकान/भूखंड अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला कृषकों व 5% दुकान/भूखंड विधवा महिला कृषकों हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों व आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु कृषक व उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 100 लाख रु) अनुदान व अन्य पात्र उधमियों को 25% (अधिकतम 50 लाख रु) अनुदान देने का प्रावधान है। ताजा फल, सब्जियों तथा फूलों के निर्यात पर परिवहन अनुदान, व्यय राशि का 20% से 40% तक देने का प्रावधान है। ऊक्त के अतिरिक्त मसालों, प्रासेस्ड कृषि उत्पादों के निर्यात पर भी परिवहन व्यय मे अनुदान देने का प्रावधान नीति मे है। मंडी का पूरा स्टाफ संचालनालय कृषि के अधिनस्थ है। नियमन व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। मंडी बोर्ड के अधिकारी भी राज्य शासन के ही है।

बैठक के दौरान प्रबंध संचालक महोदया द्वारा राज्य में प्राईवेट मंडियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

गुजरात राज्य-

श्री परमार मंडी सचिव इंदौर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वडोदरा सब्जी मंडी का अध्ययन किया गया जिसमें पाया कि आढतियों के माध्यम से क्रय विक्रय किया जाता है। मंडी प्रांगण के गेट पर इन्ट्री होती है तथा उपज सीधे आढतिया के यहां जाती है वहां से उसका क्रय विक्रय होता है। कभी-कभी वाहन सीधे भी मंडी के अन्दर जाते पाये गये। आढतियों के माध्यम से ही कृषि उपज का शुल्क मंडी को प्राप्त होता है। तौल कांटे तो है परन्तु उनका उपयोग नही होता है। वहां मैन्यूअल व्यवस्था है। **80 पैसा यूजर चार्ज (फल सब्जी पर) तथा 70 पैसा मंडी फीस (खाद्यान्न पर) लिया जाता है। प्रांगण के बाहर नियमन मुक्त है, कोई टैक्स देय नहीं।** सार्टिंग प्लांट नहीं है तथा ई-नेम व्यवस्था लागू नहीं है। कपास की आवक भी मंडी में नहीं होती है। फल-सब्जी मंडी में गेट इन्ट्री नहीं होती है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान आर.टी.जी.एस., चेक एवं नकद में होता है।

राजकोट मंडी में तौल कांटा है, आवक भाव के लिये वेवसाईट उपलब्ध है। सार्टिंग यूनिट उपलब्ध है। ई-नेम में इन्ट्री होती है। जूनागढ मंडी में फल-सब्जी की आवक होती है, तौल कांटे स्थापित है। सार्टिंग प्लांट नहीं है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान आर.टी.जी.एस., चेक एवं नकद में होता है। कपास की आवक नहीं होती है। एसोशिएशन के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि मंडी बोर्ड का मंडी में कोई कन्ट्रोल नहीं है। संचालनालय कृषि के माध्यम से ही सारी व्यवस्था होती है। मंडी में निर्वाचित सदस्य होते है। निर्माण कार्य अन्य विभागों के माध्यम से कराए जाते है। आढतियों के माध्यम से कृषि उपज की नीलामी होती है साथ ही किसानों को अच्छी सुविधाएं दी जाती है। मंडी प्रांगण में नीलामी पर्ची बनती है तथा व्यापारी मंडी शुल्क जमा करते है। व्यापारियों के यहां सार्टिंग होती है। नियमन व्यवस्था अच्छी नहीं है। आढतिया लायसेंसी है। किसानों की उपज का भुगतान करने की जिम्मेदारी आढतियों की होती है। उन्हीं के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। एक्ट में अलग-अलग मंडी के अलग-अलग प्रावधान बने हुऐ है। कृषक एवं व्यापारियों का ई-नाम योजना के प्रति कोई रुझान नहीं, ऑफ लाइन एंट्री दर्ज की जाती है, ग्रेडिंग लैब सामग्री उपलब्ध है। प्रबंध संचालक महोदया द्वारा टेक्स के संबंध में लिखित में 2 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

कोटा-जयपुर-

श्री सिंह अपर संचालक, मंडी बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान राज्य में 44 मंडियां संचालित है। मंडी में आढत प्रथा संचालित है। मंडी में आढतियों को ही लायसेंस दिया जाता है। आरक्षण एवं अनुदान की व्यवस्था है। वहां पर नीलामी लाटरी पद्धति से होती है। **मंडी कृषि उपज पर ढाई प्रतिशत तथा फल सब्जी पर 1 प्रतिशत का शुल्क प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जी पर कोई शुल्क नहीं है।** मंडी प्रांगण के गेट पर कम्प्यूटर से प्रवेश पर्ची जारी होती है। मंडी प्रांगण में पूरे समय मैन्यूअल पद्धति से कार्य सम्पादित किया जाता है। पाक्षिक विवरणी बनाने का कोई सिस्टम नहीं है। आढतियां व्यापारी ही किसानों की उपज का क्रय विक्रय का कार्य करते है। मंडी का कर्मचारी भाव नोट करता है आढतिया ही बताता ही उसे कितना उपज प्राप्त हुई। मंडी नीलामी पर्ची जारी होती है। मंडी

में निर्माण कार्य बहुत अच्छा है। निर्माण के लिये अधोसंरचना से 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है। कोटा एवं जयपुर के किसान संयंत्र चलाते है उन्हें अनुदान दिया जाता है। कृषि उपज के परिवहन के लिये भी अनुदान की व्यवस्था है। हम्माल तुलावटी योजना म.प्र. जैसी ही व्यवस्था है। राजीव गांधी सुविधा योजना है। कृषि कार्य में मृत्यु होने पर कृषक को 2 लाख तथा विकलांग होने पर 50 हजार का प्रावधान है। राजस्थान में प्राईवेट मंडी नहीं है। किसानों के हित में मंडी में कोई योजनाएं लागू नहीं है। प्रबंध संचालक महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि किसानों को खाद, बीज, दवाई, कृषि उपकरण कम भाव में खरीदने के लिये क्या किया जाए इसकी जानकारी उपलब्ध कराने तथा लायसेंस की क्या प्रक्रिया है प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(जी.व्ही. रश्मि)
प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2022-23/205 भोपाल, दिनांक 17 /01/2023

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक/कार्यपालनयंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऑचलिक कार्यालय (समस्त)
6. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.....

प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

17/1/2023

O/C